



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

शुद्धि-पत्र

फा. सं.: NCST/DEV-1728/JH/18/2023-ESDW


दिनांक: 22.06.2023

श्री अविनाश कुमार,
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक,
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड,
इंजीनियरिंग बिल्डिंग, एच. ई. सी., धुर्वा
रांची-834004, झारखंड
ई-मेल: contactus@jbvnl.co.in

विषय: दैनिक मजदूर के तौर पर गुमला जिले (झारखंड) में कार्य कर रहे आवेदिका के पति के कार्यस्थल में हाइ वोल्टेज बिजली के तार के संपर्क में आकर **मृत्यु होने के उपरांत** झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा समुचित मुआवजा/पुनर्वास नहीं दिये जाने एवं अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार करने के संबंध में श्रीमती सीता देवी, पत्नी स्व. बिनोद उरांव, ग्राम-करौंदी, थाना/पोस्ट-गुमला, जिला-गुमला, झारखंड-835207 का दिनांक 19.04.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 02.06.2023 के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर एन.सी.एस.टी. के समसंख्यक नोटिस दिनांक 02.06.2023 के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त अभ्यावेदन के विषय में वर्णित वाक्य (मृत्यु होने के उपरांत) को झुलस जाने के उपरांत पढ़ा जाए, क्योंकि आवेदिका के पति जीवित है उनकी मृत्यु नहीं हुई है वे अत्यधिक झुलस जाने के उपरांत स्थाई रूप से दिवयांग हो चुके हैं।


(हरि राम मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्रीमती सीता देवी,
पत्नी स्व. बिनोद उरांव,
ग्राम-करौंदी, थाना/पोस्ट-गुमला,
जिला-गुमला, झारखंड-835207
2. ✓ एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।